अनुदान संख्या – 33 राजस्व विभाग
GRANT No. 33 - DEPARTMENT OF REVENUE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*			*2,00*	..	*-2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	201499,60,00		209793,73,00	209652,68,02	-141,04,98
पूरक	Supplementary	8294,13,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					52,08,10
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	13,02,00		13,03,00	3,66,32	-9,36,68
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3,71,58

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, ₹*2.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹*2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	45202.00			
पू.	S.	1.00	46526.86	44607.93	-1918.93
पु.	R.	1323.86			
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services				
मू.	O.	63973.00			
पू.	S.	1.00	56954.49	56313.78	-640.71
पु.	R.	-7019.51			
मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries				
मू.	O.	34837.00			
			35297.08	29486.81	-5810.27
पु.	R.	460.08			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	18600002.00			
पू.	S.	814312.00	19322700.28	19322700.28	..
पु.	R.	-91613.72			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	1400001.00			
पू.	S.	15099.00	1506846.72	1506846.72	..
पु.	R.	91746.72			

(I) ₹19.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹19.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads.

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' – ''सचिवालय – आयकर ओवरसीज इकाइयां'' के अंतर्गत – ₹1061.18 लाख की बचत (₹1362.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों में प्रथम सचिव (एफएस) के पदों को भरने के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति से अनुमोदन मिलने में देरी के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Income tax Overseas Units" – saving of ₹1061.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1362.00 lakhs) was due to delay in approval from Appointments Committee of the Cabinet for filling up the posts of First Secretary (FS) at various Indian Missions abroad.

(III) मुख्य शीर्ष ''2047'' – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "2047" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''विदेशी मुद्रा विनियमन – प्रवर्तन निदेशालय'' – ₹510.22 लाख की बचत (₹31149.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण स्थापना व्यय पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(A) "Regulation of Foreign Exchange – Enforcement Directorate" - saving of ₹510.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31149.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment expenses owing to COVID-19 pandemic.

(खा) ''माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) : विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)–जीएसटीएन को प्रयोक्ता शुल्क की अदायगी'' – ₹6582.00 लाख की बचत (₹26444.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ववर्ती वर्ष की बचतें/अधिक राशि की उपलब्धता के कारण प्रयोक्ता शुल्क के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(B) "Goods & Services Tax Network (GSTN): Special Purpose Vehicle (SPV) – Payment of user charges to GSTN" - saving of ₹6582.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26444.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards user charges owing to availability of savings/surplus of previous year.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2875'' – ''अफीम और एल्केलाइड उद्योग'' बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(IV) Under Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries"– savings occurred under the following heads:-

(का) ''नीमच अफीम फैक्टरी – अफीम की खरीद'' – ₹1632.41 लाख की बचत (₹6071.09 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(A) "Neemuch Opium Factory – Purchase of Opium" - saving of ₹1632.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6071.09 lakhs) was due to requirement of less funds towards purchase of opium.

(खा) ''नीमच एल्केलाइड वर्क्स'' –

(B) "Neemuch Alkaloid Works" –

(क) "प्रबंधन"– ₹4161.06 लाख की बचत (₹8692.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, औषधों की आयात दर में कमी, औषधियों के शून्य आयात और किफायती उपाय करने के कारण फैक्टरी महानियंत्रक के कार्यालय को कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "मरम्मत और रखरखाव" – ₹704.64 लाख की बचत (₹754.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, फोरमैन (सिविल) और प्रभारी, अफीम प्रयोगशाला से आवश्यकता–पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण फैक्टरी महानियंत्रक द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए मुआवजा – राज्यों को राजस्व हानि के लिए मुआवजा" – ₹316746.72 लाख की बचत (₹9300000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बजट प्रभाग द्वारा सीमा निर्धारित करने और राज्यों को जीएसटी मुआवजा जारी करने के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹757.78 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत और 72 प्रतिशत थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹252178.85 लाख) प्रयुक्त हो गई; जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर 2021 और मार्च, 2022 में ₹829412.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – राजस्व विभाग" – ₹2042.85 लाख। तथापि, ₹1414.46 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

(a) "Management" – saving of ₹4161.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8692.40 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, decrease in rate for import of drugs and requirement of less funds by the Office of Chief Controller of Factories owing to nil import of drugs and economy measures.

(b) "Repairs and Maintenance" - saving of ₹704.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹754.00 lakhs) was due to requirement of less funds by O/o. Chief Controller of Factories owing to non-receipt of requirement from Central Public Works Department, Foreman (Civil) and Incharge, Opium Lab.

(V) Under Major Head "3601" – "Other Transfer/Grants to States-Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST-Compensation for revenue loss to States" - saving of ₹316746.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9300000.00 lakhs) was due to ceiling fixed by Budget Division and requirement of less funds towards release of GST compensation to States.

(VI) Under two heads savings of ₹757.78 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 23 percent and 72 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹252178.85 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹829412.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 – under the following heads:-

(A) Major Head "2052" – Secretariat – Department of Revenue" – ₹2042.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹1414.46 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – माल और सेवा कर मुआवजा निधि में अंतरण" – ₹225135.00 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – माल और सेवा कर मुआवजा निधि में अंतरण" – ₹25001.00 लाख।

(II) बचतें निम्नालिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः

(का) मुख्य शीर्ष "2875" – अफीम और एल्केलाइड उद्योग – नीमच एल्केलाइड वर्क्स – अन्य व्यय"– ₹1279.15 लाख का अधिक व्यय (₹4000.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एल्केलाइड उत्पादों के लिए बढ़े हुए लक्ष्य और औषधों के आयात पर सीमाशुल्क की अदायगी के लिए किए गए प्रावधान के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान –जीएसटी के लागू होने से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए मुआवजा – विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को राजस्व हानि के लिए मुआवजा – ₹66746.72 लाख का अधिक व्यय (₹700000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी मुआवजा जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

4.(I) अनुदान के पूंजीगत भाग में ₹751.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹292.16 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 99 प्रतिशत थी।

(B) Major Head "3601" – "Other Transfers/Grants to States – Transfer to Reserve funds/Deposit Accounts – Transfer to Goods and Service Tax Compensation Fund" – ₹225135.00 lakhs.

(C) Major Head "3602" – "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature-Transfer to Reserve Funds/Deposits Account-Transfer to Goods and Service Tax Compensation Fund"- ₹25001.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2875" – "Opium & Alkaloid Industries – Neemuch Alkaloid Works – Other Expenditure" – excess of ₹1279.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.25 lakhs) was due to upward revision of targets for Alkaloid production and provision made for payment of customs duty on import of drugs.

(B) Major Head "3602" – "Other Transfer/Grants to Union territory Governments with Legislature – Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST – Compensation for revenue loss to Union Territory Governments with Legislature" – excess of ₹66746.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release of GST compensation to Union Territories with Legislature.

4.(I) In the capital section of the grant, provision of ₹751.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads.

(II) Under one head saving of ₹292.16 lakhs occurred constituting 99 percent of the sanctioned provision.

5. मूल्यह्रास आरक्षित निधि– अफीम और एल्केलॉइड फैक्टरियांः–

ये निधियां 1970–71 में एल्केलाइड फैक्टरियों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाने की वाणिज्यक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए शुरू की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की परिसंपत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यह्रास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिरक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधि के शेषों पर समय–समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिरक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है।

वर्ष 2021–22 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि का लेखा निम्न प्रकार थाः–

5. Depreciation Reserve Fund – Opium and Alkaloid Factories:-

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

The Account of Depreciation Reserve Fund for 2021-22 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

		गाजीपुर Ghazipur		**नीमच Neemuch**	
		अफीम फैक्टरी Opium Factory	**एल्केलाइड वर्क्स Alkaloid Works**	**अफीम फैक्टरी Opium Factory**	**एल्केलाइड वर्क्स Alkaloid Works**
अथशेष	Opening Balance	12,95,89	15,93,22	11,31,46	29,72,20
प्राप्तियां	Receipts	15,00	50,00	38,00	45,00
जमा किया गया ब्याज	Interest Credited	36,04	37,81	50,84	98,03
अदायगियां	Payments	..	..	..	..
अंतशेष	Closing Balance	13,46,93	16,81,03	12,20,30	31,15,23

6. राष्ट्रीय नशीली दवा दुर्व्यापार नियंत्रण निधिः–

राष्ट्रीय नशीली दवा दुर्व्यापार नियंत्रण निधि की स्थापना ''नशीली दवाओं और मादक पदार्थ अधिनियम'' 1985 जो 24 मार्च, 2006 को अधिनियमित हुआ के अंतर्गत हुई थी। निधि की स्थापना भारत के लोक लेखा में सरकार/स्वयंसेवी/अन्य संगठनों और संस्थाओं द्वारा स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों में अवैध लेनदेन का मुकाबला करने, जागरूकता पैदा करने, पहचान, परामर्श देने, नशे के आदी व्यक्तियों का उपचार और पुनर्वास सहित विभिन्न तरह से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई थी।

केन्द्र सरकार के लिए प्राप्त राशि (संसद द्वारा विधिवित् विनियोग पूरा करने के पश्चात), अधिनियम के अध्याय V का के अंतर्गत जब्त किसी संपतति की बिक्री आय, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिया गया अनुदान तथा निधि में जमा की गई राशि के निवेश से कोई आय तथा अधिनियम के खंड 7 के में समाविष्ट उद्देश्यों के लिए निधि से प्रयुक्त होती है।

वर्ष 2021–22 के लिए राष्ट्रीय नशीली दवा दुर्व्यापार नियंत्रण निधि का लेखा निम्न प्रकार थाः–

6. National Fund for Control of Drug Abuse:-

The National fund for Control of Drug Abuse was established under the "Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act", 1985 enacted on 24th March, 2006. The fund was constituted in the Public Account of India to provide the whole range of services including combating illicit traffic in narcotic drugs & psychotropic substances, awareness generation, identification, counseling, treatment and rehabilitation of drug addicts through Government/Voluntary/other organizations and institutions.

The amount received for Central Government (after due appropriation met by Parliament), sale proceeds of any property forfeited under chapter V A of the Act, grant made by any person or institution and any income from investment of amount credited to the fund and utilized from the fund for the purposes contained in section 7 A of the Act.

The Account of National Fund for Control of Drug Abuse for 2021-22 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	31,58,57
प्राप्तियां	Receipts	1,06,21
अदायगियां	Payments	1,30,84
अंतशेष	Closing Balance	31,33,94

7. माल और सेवा कर मुआवजा निधिः–

माल और सेवा कर मुआवजा अधिनियम, 2017 में उपबंध है कि संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसरण में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जायेगा।

वर्ष 2021–22 के लिए माल और सेवा कर मुआवजा निधि का लेखा निम्न अनुसार हैः–

7. Goods & Service Tax Compensation Fund:-

The Goods & Service Tax (Compensation to States) Act 2017, provides that compensation to the States will be made for the loss of Revenue arising on account of implementation of Goods & Service Tax in pursuance of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016.

The Account of Goods & Service Tax Compensation Fund for 2021-22 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2740,53,02
प्राप्तियां	Receipts	110795,47,00
अदायगियां	Payments	97500,00,00
अंतशेष	Closing Balance	16036,00,02